

न्यायालय तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी - गिराज प्रसाद बंसल

किस्म मुकदमा :- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मिसल संख्या-10/2022

तारीख रजू 05.01.2022

निर्णय दिनांक 11.01.2022

निर्णय

राजस्थान सरकार बनाम भंवरसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति गुर्जर निवासी ब्रह्मबाद

पत्रावली आज मुकाम तहसील कार्यालय बयाना मे वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि श्री भंवरसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति गुर्जर निवासी ब्रह्मबाद तहसील बयाना ने ग्राम ब्रह्मबाद तहसील बयाना के सिवायचक भूमि आराजी खसरा नम्बर 329 मे रकबा 0.17 हैक्टर पर फसल रवी सम्बत 2078 में अनाधिकृत रूप से फसल रजका काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 91 (3) के तहत दिनांक 11.01.2022 को मुकाम तहसील कार्यालय बयाना उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामील कराई गई। नियत तिथि को गैर सायल ने उपस्थित होकर जबाव पेश किया। गैरसायल द्वारा अपने जबाव में कोई भी ऐसा साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि उसके द्वारा किया गया अतिक्रमण वैधानिक है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल ने फसल रवी सम्बत 2078 मे उक्त राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा/काश्त करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है। इसलिये गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः फसल रवी सम्बत 2078 मे अतिचारी श्री भंवरसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति गुर्जर निवासी ब्रह्मबाद तहसील बयाना का ग्राम ब्रह्मबाद तहसील बयाना के सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 329 मे रकबा 0.17 हैक्टर पर अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल पर लगान राशि 2.72 रूपये का पचास गुना राशि 136 रूपये की शास्ती आरोपित की जाकर मोके से बेदखल कर फसल अथवा अन्य सामग्री आदि को कुर्क कर नीलाम करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय अनुसार बेदखली, फसल जप्ती, नीलामी एवं वसूली हेतु सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तथा माँग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार बयाना को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्थान के न्यायालय की धारा 91 के तहत
दिनांक 24/1/22 को बत 2021-22
वेतवडी ह. 136/1 फसल रवी सम्बत 2078
को अतिक्रमी घोषित किया गया है।
गिराज प्रसाद बंसल
तहसीलदार बयाना

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

